छत्तीसगढ़ शासन

वित्त विभाग

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2016-17

छत्तीसगढ़ शासन

वित्त विभाग

प्रस्तावना

विभाग द्वारा वर्ष 2016-17 का विभागीय वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है । इस प्रतिवेदन में वित्त विभाग के अंतर्गत आने वाले विभागाध्यक्ष कार्यालयों / निगम की गतिविधियों एवं उनके द्वारा संचालित कार्यक्रमों की जानकारी संकलित की गई है ।

(अमिताभ जैन)
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग

छत्तीसगढ़ शासन

वित्त विभाग

1.	विभाग का नाम	:	वित्त विभाग
2.	प्रभारी मंत्री का नाम	:	डॉ. रमन सिंह
3.	राज्य वित्त आयोग	:	अध्यक्ष–श्री चन्द्रशेखर साहू
		:	मनोनित सदस्य–श्री नरेश चन्द्र गुप्ता
4.	छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड	:	अध्यक्ष– मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन

मंत्रालय में पदस्थ अधिकारीगण

प्रमुख सचिव	:	श्री अमिताभ जैन
सचिव	:	श्रीमती शहला निगार
विशेष सचिव	:	डॉ. कमलप्रीत सिंह
संयुक्त सचिव	:	1. श्री एस.के. चक्रवर्ती
	:	2. श्री सतीश पाण्डेय
उप सचिव	:	1. डॉ. ए.के. सिंह
अवर सचिव	:	1. श्री एस.एन. नामदेव
	:	2. श्रीमती प्रेमागुलाब एक्का
शोध अधिकारी	:	1. श्री अतुल कुल श्रेष्ठ
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी	:	1. श्री आनंद मिश्रा
	:	2. श्री राजशेखर शर्मा
	:	3. श्री नीरज कुमार मिश्रा
	:	4. श्री अरविंद कुजूर
	:	5. श्री महेश साकल्ले
	:	6. श्री राघवेन्द्र कुमार

<u>विभागाध्यक्ष</u>

1.	संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन	:	श्री जनक प्रसाद पाठक
2.	संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा	:	श्री जनक प्रसाद पाठक
3.	संचालक, संस्थागत वित्त	:	डॉ. कमलप्रीत सिंह
4.	संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली	:	डॉ. कमलप्रीत सिंह
5.	प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड	:	श्री व्ही.के. छबलानी
6.	सचिव, राज्य वित्त आयोग	:	श्री बी.के. अग्रवाल

विषय–सूची

क्र.	विभाग	संचालनालय/आयोग/मण्डल	पृष्ठ संख्या
1.	वित्त विभाग	1. संचालनालय, कोष लेखा एवं पेंशन	पेज 01 से 10 तक
		2. संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा	पेज 11 से 17 तक
		3. संचालनालय, संस्थागत वित्त	पेज 18 से 25 तक
		4. संचालनालय, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली	पेज 26 से 27 तक
		5. छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड	पेज 28 से 29 तक
		6. तृतीय छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग	पेज 30 से 31 तक

संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नया रायपुर

भाग-एक

सामान्य जानकारी-

संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ की स्थापना दिनांक 01.11.2000 को राज्य पुनर्गठन के फलस्वरूप हुई। विभाग की मुख्य गतिविधियों में राजकोष प्रशासकीय नियंत्रण, पेंशन तथा वेतन निर्धारण, लेखा प्रशिक्षण, कोष निरीक्षण, आंतरिक लेखा परीक्षण, राज्य वित्त सेवा, अधीनस्थ लेखा सेवा तथा अन्य राज्य स्तरीय सेवाओं के संवर्ग नियंत्रक का कार्य तथा अंशदायी पेंशन योजना हेतु नोडल एजेन्सी के रूप में किये जाने वाले सभी कार्य शामिल है ।

1.2 अधीनस्थ कार्यालय :-

संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन के अधीनस्थ ऑडिट प्रकोष्ठ, 05 संभागीय कार्यालय, 28 कोषालय, 40 उपकोषालय तथा 02 लेखा प्रशिक्षण शालायें है ।

1.3 स्वीकृत सेटअप :-

संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन, ऑडिट प्रकोष्ठ एवं अधीनस्थ कार्यालयों के लिये वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्वीकृत सेटअप निम्नानुसार है:-

क्र.	पदनाम	वेतन बैंड	ग्रेड वेतन	श्रेणी	स्वीकृत पद
01	आयुक्त/संचालक	भारतीय प्रशासनिक सेवा का वेतनमान		प्रथम श्रेणी	01
02	अपर संचालक	37400-67000	8700	प्रथम श्रेणी	02
03	संयुक्त संचालक	15600-39100	7600	प्रथम श्रेणी	07
04	उप संचालक	15600-39100	6600	प्रथम श्रेणी	11
05	सिस्टम एनालिस्ट	15600-39100	6600	प्रथम श्रेणी	01
06	सहायक संचालक/कोषालय अधिकारी/अति. कोषालय अधिकारी/प्राचार्य लेखा प्रशिक्षण शाला	15600-39100	5400	द्वितीय श्रेणी	48
07	प्रोग्रामर	15600-39100	5400	द्वितीय श्रेणी	05
08	सहायक प्रोग्रामर	9300-34800	4300	तृतीय श्रेणी	31
09	सहायक कोषालय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी/सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी	9300-34800	4300	तृतीय श्रेणी	128
10	शीघ्रलेखक ग्रेड-1	9300-34800	4400	तृतीय श्रेणी	01
11	शीघ्रलेखक ग्रेड-2	9300-34800	4300	तृतीय श्रेणी	02
12	शीघ्रलेखक ग्रेड-3	5200-20200	2800	तृतीय श्रेणी	07

13	सहायक ग्रेड-1 (अधीक्षक-3)	5200-20200	2800	तृतीय श्रेणी	95
14	सहायक ग्रेड-2	5200-20200	2400	तृतीय श्रेणी	232
15	सहायक ग्रेड-3	5200-20200	1900	तृतीय श्रेणी	296
16	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	5200-20200	2400	तृतीय श्रेणी	39
17	वाहन चालक	5200-20200	1900	तृतीय श्रेणी	11
18	दफ्तरी	4750-7440	1400	चतुर्थ श्रेणी	33
19	भृत्य	4750-7440	1300	चतुर्थ श्रेणी	157
20	चौकीदार	कलेक्टर दर			07
21	वाटरमैन	कलेक्टर दर			33
22	स्वीपर/फर्राश	कलेक्टर दर			41
योग					**1188**

ऑडिट प्रकोष्ठ

क्र.	पदनाम	वेतन बैंड	ग्रेड वेतन	श्रेणी	स्वीकृत पद
1	अपर संचालक	37400-67000	8700	प्रथम श्रेणी	01
2	संयुक्त संचालक	15600-39100	7600	प्रथम श्रेणी	04
3	सहायक संचालक	15600-39100	5400	द्वितीय श्रेणी	08
4	सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी	9300-34800	4300	तृतीय श्रेणी	16
5	शीघ्रलेखक ग्रेड-3	5200-20200	2800	तृतीय श्रेणी	02
6	सहायक ग्रेड-2	5200-20200	2400	तृतीय श्रेणी	04
7	सहायक ग्रेड-3	5200-20200	1900	तृतीय श्रेणी	08
8	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	5200-20200	2400	तृतीय श्रेणी	08
9	वाहन चालक	5200-20200	1900	तृतीय श्रेणी	04
10	भृत्य	4750-7440	1300	चतुर्थ श्रेणी	05
	योग				**60**

1.4 मुख्य कर्त्तव्य :-

1.4.1 कोष प्रचालन :- छत्तीसगढ़ राज्य के 05 संभागीय संयुक्त संचालकों, 02 लेखा प्रशिक्षण शालायें, 27 जिला कोषालयों एवं 01 इन्द्रावती कोषालय, नया रायपुर तथा 40 उपकोषालयों का प्रशासकीय नियंत्रण संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन द्वारा किया जाता है। नवीन कोषालयों की स्थापना तथा छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता के अनुसार कोषालयों के संचालन का दायित्व संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन का है।

1.4.2 कोष निरीक्षण :- राज्य के सभी कोषालय तथा उपकोषालयों का छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता में दिये गये प्रावधानों के अनुसार निरीक्षण का दायित्व संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन का है।

1.4.3 पेंशन व वेतन निर्धारण :- राज्य के सभी शासकीय सेवकों के वेतन निर्धारण की जांच तथा पेंशन प्रकरणों के निराकरण का दायित्व संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन का है ।

1.4.4 संवर्ग प्रबंधन :- राज्य वित्त सेवा तथा अधीनस्थ लेखा सेवा का संवर्ग प्रबंधन विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा किया जाता है। प्रोग्रामर, सहायक प्रोग्रामर, कोषालयीन लिपिकीय सेवा वर्ग-1 एवं अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग की सेवायें राज्य स्तरीय सेवायें है जिनका संवर्ग प्रबंधन भी विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा किया जाता है ।

1.4.5 लेखा प्रशिक्षण :-राज्य के तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को लेखाओं से संबंधित प्रशिक्षण देने हेतु 02 लेखा प्रशिक्षण शाला राज्य में स्थापित है। राज्य के समस्त तृतीय वर्ग के कर्मचारियों के लेखा प्रशिक्षण के दायित्व का निर्वहन भी संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन द्वारा किया जाता है।

1.4.6 अंशदायी पेंशन योजना :-

(a) पेंशन निधि विनियामक विकास प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों के तहत छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नियमित स्थापना एवं आकस्मिकता/कार्यभारित स्थापना में नियुक्त समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए दिनांक 01.11.2004 से नई पारिभाषित ''अंशदान आधारित पेंशन योजना'' (NPS) लागू की है। योजना मार्च, 2006 के वेतन से क्रियान्वयित की गई । 31 दिसम्बर, 2016 की स्थिति में योजना में कुल 131741 शासकीय सेवक सम्मिलित हैं। योजनांतर्गत शासकीय सेवक के मूल वेतन, मंहगाई वेतन एवं मंहगाई भत्ता के कुल राशि का 10 प्रतिशत राशि पेंशन अंशदान के रूप में अनिवार्य रूप से काटी जा रही है तथा उतनी ही राशि नियोक्ता की ओर से जमा किया जा रहा है।

(b) राज्य शासन के अधीन स्वशासी संस्थाओं/निकायों/विश्वविद्यालयों/निगमों/मण्डलों/सार्वजनिक उपक्रमों/विकास प्राधिकरणों/नगरीय निकायों में पदस्थ कर्मचारियों के लिए नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू करने हेतु छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय का परिपत्र क्रमांक 1230/एफ-1-41/2009/ वित्त/स्था./चार/2012 रायपुर दिनांक 01 अगस्त, 2012 (वित्त निर्देश 56/2012) जारी किया है । तदानुसार योजना क्रियान्वयन की कार्यवाही संबंधित स्वशासी संस्थाओं द्वारा की जावेगी।

(c) पेंशन निधि विनियामक विकास प्राधिकरण के विनियमय का कार्य संपादन करने तक इस योजना के निधि का संधारण राज्य की लोक लेखा में किया गया तथा इसके लेखांकन एवं अभिलेख संधारण का कार्य संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ द्वारा निष्पादित किया

गया । तदानुसार 1.11.2004 से 30 जून, 2009 तक राशि का संधारण लोक लेखा में किया गया तथा योजना में सम्मिलित शासकीय सेवकों को परमानेंट पेंशन एकाउण्ट नंबर (PPAN) संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ 31.03.2009 तक आबंटित किया गया। 01 अप्रैल, 2009 से सी.आर.ए. द्वारा परमानेंट रिटायरमेंट एकाउण्ट नंबर PRAN आबंटित किया जा रहा है। 30 जून, 2009 तक कर्मचारी अंशदान तथा उसके समतुल्य शासन अंशदान पर सामान्य भविष्य निधि में देय ब्याज की दर पर योजनांतर्गत अभिदाताओं को ब्याज दिया गया है ।

पी.एफ.आर.डी.ए. के दिशा-निर्देशों के तहत केन्द्रीय अभिलेख संधारण एजेंसी के रूप में नेशनल सिक्युरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.) के साथ राज्य शासन की ओर से दिनांक 19.09.2008 को एवं एन.पी.एस. ट्रस्ट से दिनांक 20.02.2009 को राज्य शासन की ओर से संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ द्वारा अनुबंध निष्पादित किया गया । अनुबंध निष्पादन उपरांत लोक लेखा में जमा कर्मचारी अंशदान, शासन अंशदान एवं ब्याज की राशि अगस्त, 2009 में केन्द्रीय अभिलेख संधारण एजेंसी को अभिदाताओं का अभिलेख स्थानांतरित करते हुए 31.03.2009 की स्थिति में रू. 87,90,15,804/- तथा सितम्बर, 2009 में 01.04.2009 से 30.06.2009 की स्थिति में रू. 18,20,06,909/- ट्रस्टी बैंक को स्थानांतरित किया गया। जुलाई, 2009 से प्रति माह नियमित रूप से राशि ट्रस्टी बैंक को स्थानांतरित की जा रही है ।

भारत शासन की उक्त योजना में पेंशन निधि विनियामक विकास प्राधिकरण द्वारा एन.पी.एस. ट्रस्ट की स्थापना करते हुए स्टाफ होल्डिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड को कस्टोडियन नियुक्त किया गया है, केन्द्रीय अभिलेख संधारण एजेंसी के रूप में एन.एस.डी. एल. को, पेंशन फण्ड मैनेजर के रूप में, एस.बी.आई, पेंशन फण्ड लिमिटेड, यू.टी.आई. रिटायरमेंट सल्यूशन, एल.आई.सी. पेंशन फण्ड लिमिटेड एवं ट्रस्टी बैंक के रूप में एक्सिस बैंक को नियोजित किया गया है । वर्तमान में योजना की राशि का विनिमय फण्ड मैनेजरों के बीच क्रमशः 35 प्रतिशत, 33.50 प्रतिशत, 31.50 प्रतिशत के अनुपात में किया जा रहा।

(d) अंशदायी पेंशन योजनांतर्गत अभिदाताओं का अभिलेख केन्द्रीय अभिलेख संधारण एजेंसी (सी.आर.ए.) नेशनल सिक्युरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.) द्वारा संधारित किया जा रहा है । अभिलेख संधारण हेतु सेवा शुक्ल के रूप में पी.आर.ए.एन. आबंटन पर प्रति पी.आर.ए.एन. रू. 50/- प्रति पी.आर.ए.एन. प्रति ट्रन्जेक्शन रू. 4/- एवं प्रति खाता रखरखाव रू. 190/- वार्षिक सी.आर.ए. को भुगतान किया जा रहा है।

(e) अंशदायी पेंशन योजना अंतर्गत पी.एफ.आर.डी.ए. द्वारा शासकीय सेवकों के अधिवार्षिकी पर सेवा निवृत्ति के प्रकरण में अधिकतम 60 प्रतिशत, आकस्मिक मृत्यु के प्रकरण में 100

प्रतिशत एवं अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के पूर्व सेवा से पृथक के प्रकरण में अधिकतम 20 प्रतिशत राशि एकमुश्त भुगतान करने का प्रावधान रखा गया है। शेष राशि Life Annuity पी.एफ.आर.डी.ए. द्वारा नियुक्त । Annuity Service Provider से निवेश करेगा।

वित्त निर्देश 07/2015 दिनांक 27 फरवरी, 2015 के द्वारा सेवा निवृत्ति एवं सेवा से पृथक के प्रकरणों में भुगतान किया जा रहा है। वर्तमान में मृत्यु के प्रकरणों में जमा राशि के भुगतान हेतु शास्नादेश प्रतीक्षित है। मृत्यु के प्रकरण में परिवार पेंशन का भुगतान किया जा रहा है ।

1.4.7 ऑडिट प्रकोष्ठ :- आंतरिक लेखा परीक्षण कार्य को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन के अधीन एक पृथक आंतरिक लेखा परीक्षण (ऑडिट प्रकोष्ठ) का गठन किया गया है ।

1.5 उपलब्धियाँ :-

1.5.1 पेंशन तथा वेतन निर्धारण :-

माह नवम्बर, 2000 से दिसम्बर, 2016 तक की स्थिति में निम्नानुसार प्रकरणों का निराकरण किया गया :-

01.	पेंशन प्रकरणों की संख्या	-	89877
02.	पुनरीक्षित पेंशन प्रकरणों की संख्या	-	23981
03.	वेतन निर्धारण प्रकरणों की संख्या	-	2063005

पेंशन से संबंधित जानकारी एवं सुविधाप्रदाय करने हेतु cg.nic.in.pension website माह जुलाई, 2007 से स्थापित किया गया है।

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के वित्त निर्देश क्र. 24/2007 के द्वारा 1.1.96 एवं 1.1.2006 के पूर्व के पेंशनरों एवं परिवार पेंशनरों के पेंशन/परिवार पेंशन के पुनरीक्षण के निर्देश प्रसाारित किये गये इसके तारतम्य में पेंशन पुनरीक्षण का कार्य लगभग पूर्ण कर लिया गया है, साथ ही प्राधिकृत नये पेंशन प्रकरणों में नियमित भुगतान प्रारंभ होने के स्थिति की समीक्षा प्रत्येक माह किया गया है।

पेंशन प्रकरणों का निराकरण समय पर हो इसके लिये आगामी दो वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की वेतन निर्धारण की जाँच अनिवार्य तौर पर की गई है, ताकि पेंशन प्रकरणों का निराकरण समय पर हो एवं अधिक भुगतान की स्थिति निर्मित होने पर उसकी वसूली भी सुनिश्चित किया जा सके।

1.5.2 अंशदायी पेंशन योजना :- नवनियुक्त शासकीय सेवकों को मई, 2014 से PRAN No. जिला कोषालयों के माध्यम से Online आबंटित किया जा रहा है। Online PRAN Generation की प्रक्रिया के पश्चात् PRAN एक सप्ताह के भीतर प्राप्त किया जा सकता है।

योजना लागू होने दिनांक से 31 दिसम्बर, 2016 की स्थिति में योजना में कुल 131741 अभिदाता अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत पंजीकृत है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में 05 जनवरी, 2017 तक ट्रस्टी बैंक ''एक्सिस बैंक'' को योजना की कुल राशि रू.23,48,88,05,637/- (शब्दों में- तेईस अरब अड़तालीस करोड़ अठ्यासी लाख पांच हजार छः सौ सैंतीस रू. मात्र स्थानांतरित किया जा चुका है ।

1.5.3 पेंशनर कल्याण कोष :- राज्य के पेंशनरों की समस्याओं के निराकरण के लिये राज्य शासन को उपाय सुझाने के उद्देश्य से मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन के अध्यक्षता में पेंशन कल्याण मण्डल गठित है, मण्डल में विभिन्न पेंशनर संघों के 05 प्रतिनिधि अशासकीय सदस्यों के रूप में नामांकित है।

राज्य गठन के पश्चात् पेंशनरों एवं उसके परिवारों के सदस्यों को गंभीर बीमारी, दुर्घटनाग्रस्त होने, चश्मा एवं दांत बनवाने की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये पेंशनर कल्याण को गठित है। कोष में उपलब्ध राशि रू. 91,10,000.00 में से माह नवम्बर, 2000 से माह दिसम्बर, 2016 तक पेंशनरों को वित्तीय सहायता के रूप में 56,45,417.00 स्वीकृत किये गये है।

1.5.4 कोषालय स्तर पर कम्प्यूटरीकरण :- राज्य शासन के वित्तीय प्रशासन को सुदृढ़ बनाने एवं आय-व्यय पर प्रभावी नियंत्रण रखने के उद्देश्य से समस्त कोषालयों एवं उपकोषालयों को दिनांक 01.04.2005 से कम्प्यूटरीकृत किया गया है। जिसमें सभी कोषालयों एवं उपकोषालयों को संचालनालय के मध्य लीज-लाईन एवं व्ही.पी.एन/ब्रॉडबैण्ड के माध्यम से ऑनलाईन नेट-वर्किंग स्थापित की गई है। इस प्रणाली के अंतर्गत राज्य के आय-व्यय की अद्यतन स्थिति ज्ञात करने में सुविधा होती है। छत्तीसगढ़ राज्य के कोषालयों में ''ई-कोष'' लागू कर संपूर्ण कोषालयों के कम्प्यूटरीकरण का सॉफ्टवेयर एनआई.सी. द्वारा विकसित किया गया है। कोषालयों में डाटा प्रविष्टि के साथ अन्य कार्य जैसे की डिपॉजिट, ई-कर्मचारी, ई-पेरोल, ई-पेमेंट, पंजी का कैशबुक संधारण, पेंशनर का पी.पी.ओ. जारी करना एवं सूची तैयार करना तथा बजट कन्ट्रोल इत्यादि कार्यो का निर्वहन किया जा रहा है।

1.5.5 ई-चालान की सुविधा :- राज्य शासन द्वारा 10/2006 से राज्य में वाणिज्य कर विभाग में ई-चालान की सुविधा प्रारंभ की गई है एवं दिनांक 10.03.2008 से सभी विभागों के लिये भी लागू किया गया है। इस प्रक्रिया से इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करने वाला व्यक्ति घर पर ही चालान जमा कर सकता है। लेखांकन हेतु इन्द्रावती कोषालय, नया रायपुर को अधिकृत किया गया है।

चालान जमा करने के उपरांत जमाकर्ता को इलेक्ट्रिानिक चालान प्राप्त हो जाता है। यह सुविधा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, एच.डी.एफ.सी. बैंक, इलाहाबाद बैंक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, आईडीबीआई बैंक, इंडियन ओव्हरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया एवं विजया बैंक के माध्यम से प्रदाय की जा रही है।

1.5.6 ई-पेमेंट :- भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन के अंतर्गत आने वाले अधिकारी/कर्मचारी का वेतन भुगतान दिनांक 01 नवम्बर, 2010 से ई-पेमेंट के माध्यम से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ किया गया। इस सुविधा का विस्तार दिनांक 01.01.2011 से समस्त विभागों के लिए किया गया है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत वेतन जमा होने की सूचना शासकीय सेवकों को मोबाईल पर संदेश (Message) की सुविधा बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। माह जुलाई, 2012 से सभी शासकीय विभागों द्वारा प्रदायकर्ताओं (Contractor/Vendors/ Suppliers) को रू. 5,000.00 या इससे अधिक का भुगतान ई-पेमेंट के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जा रहा है। शासकीय सेवकों के सभी स्वत्वों का भुगतान भी ई-पेमेंट के माध्यम से किया जा रहा है। अन्य समस्त प्रकार के देयकों का भुगतान ई-बिल के माध्यम से ई-पेमेंट किया जा रहा है ।

1.5.7 ऑनलाईन ई-बिल :- वर्तमान में ई-बिल Software develop करने का कार्य प्रक्रियाधीन है जिसमें ऑन लाईन ई-बिल तैयार किया जाकर ऑन लाईन ट्रेजरी में प्रस्तुत किया जावेगा इसके लिये डिजिटल साईन का प्रयोग किया जावेगा।

1.5.8 साख पत्रों का कम्प्यूटरीकरण :- वित्तीय वर्ष 2013-14 में निर्माण कार्य विभागों के लिए प्रचलित साख-पत्र व्यवस्था समाप्त करते हुए ई-कोष के माध्यम से ऑनलाईन बजट आबंटन/व्यय आदि का लेखा संधारण किया जा रहा है।

1.5.9 विभागीय निरीक्षण :- कोषालय संहिता अनुभाग-03 के सहायक नियम 38 के अनुसार कोषालय का विभागीय निरीक्षण किया जाता है। संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन छत्तीसगढ़ के अन्तर्गत 05 संभागीय संयुक्त संचालक, 06 संभागीय कोषालय, 22 जिला कोषालय, 02 लेखा प्रशिक्षण शाला एवं 40 उपकोषालय संचालित है।

संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, संभागीय जिला कोषालयों एवं लेखा प्रशिक्षण शाला का विभागीय निरीक्षण प्रत्येक वर्ष तथा जिला कोषालयों का 03 वर्ष एवं उपकोषालयों का 6 वर्ष में किया जाना है।

1.5.10 लेखा प्रशिक्षण शाला :- संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ नया रायपुर द्वारा आयोजित लेखा प्रशिक्षण परीक्षा वर्ष 2016 में सम्मिलित परीक्षार्थियों के संबंध में जानकारी निम्नानुसार है:-

माह	परीक्षा हेतु जारी रोल नंबर	उपस्थित	अनुपस्थित	योग	उत्तीर्ण	अनुत्तीर्ण	योग
फरवरी 2016	125	122	3	**125**	73	49	**122**
जून 2016	96	95	1	**96**	56	39	**95**
अक्टूबर 2016	140	134	6	**140**	105	29	**134**

1.5.11 ऑडिट प्रकोष्ठ :- संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन, ऑडिट प्रकोष्ट द्वारा वर्ष 2016-17 में निर्धारित रोस्टर अनुसार 12 विभागाध्यक्ष एवं जिला स्तर के 60 कार्यालयों के लेखाओं का अंकेक्षण एवं भंडार का भौतिक सत्यापन दिनांक 31.03.2017 तक पूर्ण किया जाना था । माह दिसम्बर, 2016 तक 09 विभागाध्यक्ष एवं 45 जिला स्तर के कार्यालयों का अंकेक्षण एवं भौतिक सत्यापन किया जा चुका है । शेष 03 विभागाध्यक्ष 15 जिला कार्यालयों का अंकेक्षण एवं भौतिक सत्यापन 31.03.2017 तक पूर्ण कर लिया जावेगा ।

भाग-दो

बजट एक दृष्टि में-

बजट प्रावधान एवं व्यय योजनावार

मांग संख्या-..मुख्य शीर्ष-2049-ब्याज संदाय

स. क्र.	योजना	योजना का नाम	वर्ष 2016-17 हेतु प्रावधान	व्यय दिसम्बर, 2016 की स्थिति तक
1	4192	शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना (बीमा निधि पर ब्याज)	170000000	162627000
2	4198	शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना (बचत निधि पर ब्याज)	530000000	485705000
3	4209	शासकीय सेवक परिवार कल्याण निधि पर ब्याज	80000000	53718000
4	6802	पारिभाषित अंशदायी पेंशन योजना पर ब्याज	100000	0
	योग-2049		**780100000**	**702050000**
मांग संख्या-06-2054-राजकोष और लेखा प्रशासन (मतदेय एवं भारित)				
5	3843	लेखा प्रशिक्षण शाला	7158000	3595746
6	5697	कोषालय कम्प्यूटर प्रशिक्षण केंद्र	120000	0
7	2274	निदेशन और प्रशासन	155515000	74788582

8	4307	संभागीय स्थापना	73615000	38940282
9	1026	खजाना स्थापना	388254000	197301732
10	8904	ऑडिट सेल	28191000	9097656
	योग–2054		**881983000**	**323723998**
मांग संख्या–06–2071–पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ				
11	6801	राज्य शासन का अंशदान	3400000000	1755820280
मांग संख्या–06–2235–सामाजिक सुरक्षा और कल्याण				
12	7000	पेंशन कल्याण कोष की राशि की प्रतिपूर्ति	10000	0
मांग संख्या 06–4070– अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजी व्यय				
13	4843	अधोसंरचना विकास निगम	25000000	0
14	9893	अधोसंरचना विकास निगम	50000000	25000000
योग–4843 एवं 9893			75000000	25000000
कुल योग			**5137093000**	**2806594278**

भाग–तीन

संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन के अंतर्गत संचालित समस्त योजना एवं स्थापना व्यय आयोजनेत्तर मद में स्वीकृत है। राज्य योजना एवं केन्द्र प्रवर्तित योजना मद में न ही कोई स्थापना व्यय है और न ही कोई योजना संचालित है, अत: इसकी जानकारी निरंक है ।

भाग–चार

सामान्य प्रशासनिक विषय–निरंक

भाग–पांच

अभिनव योजना

भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के सहयोग से संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन के अंतर्गत आने वाले अधिकारी/कर्मचारी का वेतन भुगतान दिनांक 01 नवम्बर, 2010 से ई- पेमेंट के माध्यम द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ किया गया। इस सुविधा का विस्तार दिनांक 01.01.2011 से समस्त विभागों के लिए किया गया है । इस प्रक्रिया के अंतर्गत वेतन जमा होने की सूचना शासकीय सेवकों को मोबाइल पर संदेश के रूप में उपलब्ध कराई जा रही है । 01 जुलाई, 2012 से इस माध्यम से वेंडर खाते में सीधे राशि अंतरित की जा रही है । आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के चालू खाते में भी ई-पेमेंट के माध्यम से राशि का अंतरण किया जा रहा है ।

भाग–छः

विभाग द्वारा निकाले जा रहे प्रकाशन–निरंक

भाग–सात

अन्य विवरण

7.1 जीवन बीमा योजना –

दिनांक 01.11.1974 से शासकीय परिवार कल्याण निधि योजना अनिवार्य रूप से प्रभावशील की गई है तत्पश्चात् मध्यप्रदेश शासन द्वारा दिनांक 01.07.1985 से समूह बीमा योजना प्रभावशील करते हुए यह प्रावधान रखा गया है कि शासकीय सेवक परिवार कल्याण योजना, 1974 के सदस्य अपना नकारात्मक विकल्प प्रस्तुत कर पूर्व अनुसार परिवार कल्याण निधि योजना के सदस्य बने रहकर योजना के अंतर्गत अनिवार्य रूप से अंशदान जमा कराते रहेंगे। किन्तु ऐसा विकल्प प्रस्तुत न करने पर वे स्वमेव समूह बीमा योजना, 1985 के अनिवार्य सदस्य होगें तथा अनिवार्य रूप से उनके वेतन समूह बीमा योजना, 1985 के अंतर्गत कटौत्रा किया जावेगा।

यह योजना संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन के प्रशासकीय नियंत्रणाधीन है तथा योजनाओं से संबंधित बिन्दुओं पर प्रशासित करना, योजनाओं के अभिलेखों का निरीक्षण करना, योजना के अंतर्गत भुगतान राशि का परीक्षण करना, योजना से संबंधित आय–व्यय के आंकड़े संबंधी संचित अवशेष राशियों पर ब्याज संगणित करना एवं शासन को प्रतिवेदन का कार्य सौपा गया है। इस विभाग द्वारा कई कार्यालय प्रमुखों द्वारा जारी किये गये परिवार कल्याण निधि तथा समूह बीमा योजना के अधीन स्वीकृति आदेश तथा पात्रता राशि का परीक्षण किया गया और त्रुटि पाये जाने पर संबंधितों को सुधार हेतु लेख किया गया साथ ही चाहे जाने पर उन्हें मार्गदर्शन भी दिया गया ।

वर्तमान में वर्ष 2003 से समूह बीमा योजना के अंशदान कटौत्रा राशि में वृद्धि की गई है। जो कि 05 वर्ष पश्चात् पुनः अंशदान कटौत्रा राशि में वृद्धि की जाती है। अतः वर्ष 2017 में समूह बीमा योजना के अंशदान कटौत्रा राशि में पुनः 50 प्रतिशत वृद्धि की जाने हेतु शासन स्तर पर कार्यवाही की जा रही है।

परिवार कल्याण निधि तथा समूह बीमा योजना में प्रतिवर्ष जमा राशि पर देय ब्याज राशियों का अंतरण प्रविष्टि के माध्यम से समायोजन किया जाता है। उक्त योजना के अधीन सिर्फ मृत्यु/सेवानिवृत्ति पर ही बीमा राशि देय होती है।

---000---

संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा, छत्तीसगढ़, नया रायपुर

भाग – 1

1. सामान्य जानकारी –

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के अंतर्गत स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 में निहित प्रावधानों के अनुसार राज्य में स्थित निगमित एवं अनिगमित स्थानीय निकायों एवं शैक्षणिक संस्थाओं आदि के लेखाओं का अंकेक्षण किया जाता है। स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा स्थानीय निकायों के अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के क्रियान्वयन पर प्रकाश डाला जाता है। प्रतिवेदन में स्थानीय निकाय के आर्थिक स्थिति तथा लेखाओं के संबंध में संक्षिप्त विवरण सम्मिलित करते हुए, दृष्टिगत वित्तीय अनियमितताओं एवं महत्वपूर्ण आपत्तियों का समावेश किया जाता है।

इस प्रतिवेदन में वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 (31 दिसम्बर, 2016 तक) की अवधि में, जिन स्थानीय निकायों के लेखाओं की पश्चात्वर्ती संपरीक्षा संपादित की गई है, उनकी आर्थिक स्थिति एवं लेखाओं के विशिष्टताओं का सारांशीकृत विवरण दिया गया है। अनियमितताओं के संबंध में समय-समय पर विशेषत: निकायों की संपरीक्षा के समय ही, निकाय के प्रधान अधिकारियों के साथ विचार विमर्श पश्चात् विगत तथा वर्तमान संपरीक्षा प्रतिवेदनों में उत्थापित आपत्तियों के निराकरण तथा लेखा प्रणाली में आवश्यक सुधार लाने हेतु विशेष प्रयास किये जाते है।

2. स्थानीय निधि संपरीक्षा का प्रशासकीय ढांचा –

संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा के अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, राजनांदगांव, रायगढ़ एवं अम्बिकापुर में स्थापित है। संचालनालय एवं अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों के लिये कुल 376 पदों का सृजन किया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र	कार्यालय	कुल पद संख्या
1	संचालनालय, रायपुर	63
2	क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर	75
3	क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर	55
4	क्षेत्रीय कार्यालय, जगदलपुर	42
5	क्षेत्रीय कार्यालय, राजनांदगांव	67
6	क्षेत्रीय कार्यालय, रायगढ़	38
7	क्षेत्रीय कार्यालय, अम्बिकापुर	36
कुल पद संख्या		**376**

संचालनालय एवं अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों में दिनांक 31.12.2016 की स्थिति में कार्यरत स्टॉफ की जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र	पद का नाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	टीप
1	संचालक	01	01	0	–
2	अतिरिक्त संचालक	01	0	01	–
3	संयुक्त संचालक	02	02	0	–
4	उप संचालक	07	06	01	–
5	सहायक संचालक	24	15	9	–
6	ज्येष्ठ संपरीक्षक	83	68	15	–
7	असिस्टेंट प्रोग्रामर	01	0	01	–
8	अधीक्षक	01	0	01	–
9	मुख्य लिपिक	02	01	01	–
10	सहायक अधीक्षक	01	01	0	–
11	सहायक ग्रेड 1	01	01	0	01 पद प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत
12	स्टेनोग्राफर	01	0	01	–
13	सहायक संपरीक्षक	165	112	53	–
14	लेखापाल	01	0	01	–
15	सहायक ग्रेड 2	13	13	0	–
16	डाटा एंट्री ऑपरेटर	9	01	08	–
17	सहायक ग्रेड 3	23	18	05	08 पदों पर सी.आई.डी.सी. से कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है।
18	स्टेनो टायपिस्ट	05	0	05	–
19	वाहन चालक	05	05	0	04 पद पर संविदा से कार्यरत है। 01 पद पर कले. दर से कार्यरत है।
20	भृत्य	23	16	07	07 पदों पर सी.आई.डी.सी. से कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है।
21	चौकीदार (अस्थाई)	07	07	0	–
योग		**376**	**267**	**109**	

छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 के तहत् कुल 12443 निकायों के लेखाओं की संपरीक्षा की जाती है जिनमें 10971 ग्राम पंचायत भी सम्मिलित हैं। स्थानीय निधि संपरीक्षा के अधीनस्थ क्षेत्रीय रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, राजनांदगांव, रायगढ़ एवं अम्बिकापुर में पदस्थ अमले द्वारा क्षेत्र अंतर्गत स्थित निगमित एवं अनिगमित निकायों की संपरीक्षा की जाती है।

3. प्रशिक्षण –

संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा के अधिकारियों/कर्मचारियों को समय-समय पर छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी निमोरा रायपुर में निम्नलिखित विषयों पर प्रशिक्षण कराये गये हैं :-

1. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का प्रभावी क्रियान्वयन
2. बजट प्रक्रिया, ई-कोष ऑन लाईन बिल प्रस्तुतीकरण
3. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 तथा छत्तीसगढ़ वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम, 1966 गोपनीय प्रतिवेदन में मतांकन
4. मार्डन ऑफिस मेनेजमेंट,
5. भण्डार क्रय नियम, आंतरिक लेखा परीक्षण आदि

4. सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन–

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा – 18 एवं धारा ''क" के अंतर्गत इस संचालनालय के निम्नलिखित कार्यालयों के लिए क्रमशः अपीलीय अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी निम्नानुसार नामांकित किये गये हैं-

1. प्रथम अपीलीय अधिकारी – श्री बी.एस. भगत, संयुक्त संचालक, संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा,

2. लोक सूचना अधिकारियों के नाम एवं पद नाम –

क्र.	कार्यालय	लोक सूचना अधिकारी
1.	संचालनालय, नया रायपुर	सुश्री भारती सिंह राजपूत, सहायक संचालक
2.	क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर	श्री एस.एस. ताण्डेय, उप संचालक
3.	क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर	श्री पीयूष प्रसाद, उप संचालक
4.	क्षेत्रीय कार्यालय, राजनांदगांव	श्री जी.के.पुर्रे, उप संचालक
5.	क्षेत्रीय कार्यालय, जगदलपुर	श्री सी.पी. शर्मा, उप संचालक
6.	क्षेत्रीय कार्यालय, रायगढ़	श्री सी.आर. देवहारे, उप संचालक
7.	क्षेत्रीय कार्यालय, अंबिकापुर	श्री विनय ठाकुर, सहायक संचालक

उक्त के अलावा प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी नामित किये गये है। संचालनालय द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानानुसार समुचित कार्यवाही की जा रही है। सूचना के अधिकार के तहत विभाग में प्राप्त आवेदनों का यथा समय निराकरण किया जाता है। प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष 3 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसका निराकरण यथा समय किया गया है।

5. जनकार्य दिवस की स्थिति :-

अ वित्तीय वर्ष 2015-16 की जनकार्य दिवसों की स्थिति निम्नानुसार थी :-

01.04.2015 को अवशेष	2014-15 की मांग	कुल मांग	वर्ष 2015-16 में संपादित कार्य	31.03.2016 को अवशेष
473570	77568	551138	25618	525520

टीप - नवीन निकायों के गठन/उन्नयन के कारण वर्ष 2015-16 की मांग में परिवर्तन दृष्टिगत है।

ब वित्तीय वर्ष 2016-17 (31.12.2016 तक) में जनकार्य दिवसों की स्थिति निम्नानुसार थी:-

01.04.2016 को अवशेष	2016-17 की मांग	कुल मांग	वर्ष 2016-17 में संपादित कार्य (31.12.2016 तक)	31.12.2016 को अवशेष
525520	84780	610300	16774	593526

6. संपरीक्षा शुल्क :-

अ. 2015-16 में संपरीक्षा शुल्क जमा एवं शेष की स्थिति निम्नानुसार थी :-

01.04.2015 को प्रारंभिक शेष	2014-15 की मांग	कुल मांग	कुल वसूली (31.03.2016 तक)	दिनांक 31.03.2016 को अवशेष
168180486	36718403	204898889	18758433	186140456

ब. 2016-17 (31 दिसम्बर, 2016 तक) में संपरीक्षा शुल्क जमा एवं शेष की स्थिति निम्नानुसार थी:-

01.04.2016 को प्रारंभिक शेष	2016-17 की मांग	कुल मांग	कुल वसूली (31.12.2016 तक)	दिनांक 31.12.2016 को अवशेष
186140457	29644700	215785157	21533154	194252003

7. संपरीक्षा प्रतिवेदन :-

वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 (31 दिसम्बर, 2016 तक) में विभिन्न संस्थाओं/ निकायों की ओर संपरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रसारण की स्थिति का विवरण निम्नानुसार है :-

अ वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रसारित संपरीक्षा प्रतिवेदनों की स्थिति निम्नानुसार रही थी:-

01.04.2015 को प्रसारण हेतु लंबित प्रति	2015-16 में प्राप्त प्रतिवेदन	कुल प्रतिवेदन	वर्ष 2015-16 में प्रसारित प्रतिवेदन	31.03.2016 को प्रसारण हेतु अवशेष
269	1062	1331	1162	169

ब वित्तीय वर्ष 2016-17 (दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 तक) में प्रतिवेदन प्रसारण की स्थिति निम्नानुसार है :-

01.04.2016 को अवशेष	2016-17 में (31.12.2016 तक) प्राप्त प्रतिवेदन	कुल प्रतिवेदन	वर्ष 2016-17 में (31.12.2016 तक) प्रसारित प्रतिवेदन	31.12.2016 को प्रसारण हेतु अवशेष
169	689	858	783	75

8. निराकृत आपत्तियां :-

वित्तीय वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 (31 दिसम्बर, 2016 तक) की स्थिति में विभिन्न स्थानीय निकायों की ओर लंबित एवं निराकृत आपत्तियों की जानकारी एवं सन्निहित राशि की जानकारी निम्नानुसार थी:-

अ. वित्तीय वर्ष 2015-16 की स्थिति में :-

प्रारंभिक लंबित ऑडिट आपत्ति संख्या	वर्ष के दौरान लिये गये ऑडिट आपत्तियों की संख्या	कुल अवशेष ऑडिट आपत्तियों की संख्या	वर्ष के दौरान निराकृत ऑडिट आपत्तियों की संख्या	अवशेष ऑडिट आपत्तियों की संख्या	सन्निहित राशि
253767	35885	289652	20300	269352	107389889236

ब. वित्तीय वर्ष 2016-17 (31 दिसम्बर, 2016 तक) की स्थिति में :-

प्रारंभिक लंबित ऑडिट आपत्ति संख्या	वर्ष के दौरान लिये गये ऑडिट आपत्तियों की संख्या	कुल अवशेष ऑडिट आपत्तियों की संख्या	वर्ष के दौरान निराकृत ऑडिट आपत्तियों की संख्या	अवशेष ऑडिट आपत्तियों की संख्या	सन्निहित राशि
269352	22547	291899	6710	285189	142132140968

9. **स्थानीय निकायों के आय-व्यय** -

प्रतिवेदनाधीन वर्ष में जिन निकायों की संपरीक्षा की गई उनके आय-व्यय के आंकड़े निम्नानुसार रहे :-

(राशि ₹ में)

अ	वित्तीय वर्ष 2015-16 की स्थिति में :-	
	आय -	68962851771.00
	व्यय -	73932664925.00
ब.	वित्तीय वर्ष 2016-17 (31.12.2016) की स्थिति में	
	आय -	51071382237.00
	व्यय -	40699446214.00

10. प्रभक्षण :-

लेखा नियमों की अवहेलना तथा स्थानीय निकायों द्वारा प्रशासनिक शिथिलता के कारण प्रतिवेदनाधीन अवधि में प्रभक्षण की स्थिति निम्नानुसार थी :-

दिनांक 31.12.2016 तक अनिराकृत प्रभक्षण प्रकरणों की संख्या	प्रभक्षण प्रकरणों सन्निहित राशि ₹
2306	90558392.00

11. अधिभार :-

छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत, ऐसी हानियों के प्रकरण जिसमें किसी अधिकारी /कर्मचारियों की अपने कर्तव्यों के प्रति घोर अवहेलना, कदाचरण अथवा तत्परता से कर्तव्यों का पालन न करने या कर्तव्यों के प्रति उदासीनता बरतने के कारण अवैधानिक व्यय हुआ हो, ऐसे प्रकरणों में अधिभार कार्यवाही संस्थित की जाती है। ऐसे अधिभार प्रकरणों में विभाग द्वारा कार्यवाही की स्थिति निम्नानुसार है :-

अ. वित्तीय वर्ष 2015-16 की स्थिति में :-

क्र	प्रकरणों का विवरण	संख्या	सन्निहित राशि ₹	निराकृत संख्या	अवशेष संख्या	अवशेष राशि ₹
1	अधिभार आरोप पत्र	51	2074992	0	51	3960233
2	अधिभार सूचना	17	2521204	0	17	1533603
3	अधिभार आदेश	13	532478	0	13	36146
4	मांग हेतु प्रमाण पत्र	19	73725	0	19	73725

ब. वित्तीय वर्ष 2016-17 की स्थिति में :-

क्र	प्रकरणों का विवरण	संख्या	सन्निहित राशि ₹	निराकृत संख्या	अवशेष संख्या	अवशेष राशि ₹
1	अधिभार आरोप पत्र	45	1175540	0	45	2074992
2	अधिभार सूचना	18	1954708	0	18	2725753
3	अधिभार आदेश	12	547950	0	12	532478
4	मांग हेतु प्रमाण पत्र	19	73725	0	19	73725

भाग - दो

बजट :-

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर द्वारा वर्ष 2016-17 के लिये राशि ₹ 20.39 करोड़ आबंटित किया गया। आबंटित बजट में से दिनांक 31.12.2016 तक कुल राशि ₹ 10.40.00 करोड़ व्यय हुआ है।

भाग - तीन

1. निरीक्षण :-

संचालनालय के अधीन स्थानीय निकायों में पश्चातवर्ती संपरीक्षा दल के कार्यो का समय-समय पर सहायक संचालक द्वारा निरीक्षण पर्यवेक्षण किया जाता है। इसके अतिरिक्त संचालक के निर्देशन में गठित निरीक्षण दल द्वारा भी निरीक्षण किया जाता है ।

2. पर्यवेक्षण :-

प्रतिवेदनाधीन वर्ष में विभिन्न स्तरीय निकायों की विभिन्न वर्षो की लेखाओं की संपरीक्षा की गई तथा जिसमें से अधिकांशत: निकायों का विभागीय अधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षण भी किया गया।

3. अंकेक्षण के दौरान वसूली :-

स्थानीय निकायों में संपरीक्षा के दौरान पाई गई अनियमितताओं एवं त्रुटियों को प्रकाश में लाते हुए अंकेक्षण द्वारा उत्तरदायी पदाधिकारियों से कुल राशि ₹ 2338984.00 की वसूली की जाकर निकाय निधि में जमा कराई गई।

---**000**---

संचालनालय, संस्थागत वित्त, छत्तीसगढ़, नया रायपुर

भाग–1

संचालनालय के गठन का उद्देश्य :–

छत्तीसगढ़ राज्य के बैंकों के माध्यम से सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु चलाई जा रही योजनाओं के सफल क्रियान्वयन, राज्य का वित्तीय एजेंसियों के साथ समन्वय तथा राज्य में संस्थागत वित्त का अधिकाधिक प्रवाह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संस्थागत वित्त संचालनालय की स्थापना की गई है। तद्नुसार संचालनालय को निम्नांकित दायित्व सौंपे गये :–

1. बैंकिग कार्यकलापों का विस्तार तथा बैंको को विकासमूलक कार्यक्रम के संपादन में आने वाली बाधाओं/समस्याओं का निराकरण करना।
2. बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के योगदान से संबंधित राज्य और जिला स्तर समन्वय समितियों तथा सलाहकार समिति से जुडे कार्य।
3. जिला एवं राज्य स्तरीय ऋण योजना, ऋण देने की प्रणाली एवं गति में सुधार संबंधित कार्य।
4. बैंकों में शासकीय जमा हेतु बैंकों के इम्पैनलमैन्ट संबंधी कार्य।
5. Public Expenditure Tracking System - Management Information System (PETS MIS) के अंतर्गत इम्पैनल बैंकों से प्राप्त शासकीय जमा के आंकड़ों का संकलन।
6. विदेशी सहायता प्राप्ति एवं तत्संबंधी परियोजनाओं का सफल क्रियान्वयन एवं अभिलेख इत्यादि का संधारण कार्य।
7. भारत सरकार, राज्य शासन, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड द्वारा प्रवर्तित योजनाओं तथा निर्देशावली के क्रियान्वयन।
8. प्रधानमंत्री जन–धन योजना के क्रियान्वयन हेतु सहायता प्रदान करना।
9. प्रधानमंत्री की बीमा योजनाओं (प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना) के क्रियान्वयन हेतु सहायता प्रधान करना।

राज्य शासन की विकास नीतियों को मूर्त रूप देने के लिये अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के उद्देश्य से भारत शासन के माध्यम से विदेशी सहायता भी प्राप्त की जाती है। चूँकि विदेशी सहायता की राशि भारत शासन के माध्यम से राज्य शासन की अतिरिक्त योजना संसाधन के रूप में प्राप्त होती है, संचालनालय का यह प्रयास रहा कि भारत सरकार को अधिक से अधिक विकास परियोजनाएं विदेशी सहायता हेतु प्रेषित की जाए, जिससे राज्य की विकास गति को अपेक्षा अनुसार वित्तीय समर्थन मिलता रहे। संचालनालय द्वारा ऐसी विदेशी संस्थाओं से सहायता ली जाती है, जिसका ऋण दर कम हो तथा अधिक से अधिक अनुदान प्राप्त हो।

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा सम्पूर्ण भारत वर्ष में वित्तीय समावेशन हेतु प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारंभ अगस्त, 2014 को किया गया था। इस अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में 119 लाख से ज्यादा व्यक्तियों ने बैंकों में नये खाते खोले है।

वित्तीय समावेशन की अगली कड़ी में भारत सरकार ने सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मई 2015 से तीन महत्वपूर्ण योजनाओं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पी.एम.जे.जे.बी.वाय.), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पी.एम.एस.बी.वाय.) एवं अटल पेंशन योजना (ए.पी.वाय.) का शुभारंभ किया है। उक्त योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य समाज के प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इन तीनो महत्वपूर्ण योजनाओं में राज्य में सितम्बर, 2016 तक पी.एम.जे.जे.बी.वाय. के अंतर्गत 8.26 लाख, पी.एम.एस.बी.वाय. के अंतर्गत 41.00 लाख लोगो ने अपना पंजीकरण कराया है। अटल पेंशन योजना, जिसका मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, कामगारों एवं पेंशन विहिन व्यक्तियों को वृद्धावस्था में निश्चित पेंशन प्रदान करना है के अंतर्गत राज्य के 24 हजार से अधिक जनसंख्या अटल पेंशन योजना से जुड़ चुकी है।

संचालनालय का प्रशासकीय ढ़ाँचा–

उपरोक्त दायित्वों एवं कार्यो के संपादन एवं निर्वहन के लिये स्थापित संस्थागत वित्त संचालनालय के अधीन राज्य स्तर पर अमला स्वीकृत है पर कोई क्षेत्रीय अथवा मैदानी अमला नहीं हैं।

संचालनालय के अमले में निम्नलिखित सेटअप की स्वीकृति प्रदान की गई है :-

क्र.	पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
1.	संचालक	भारतीय प्रशासनिक सेवा का प्रवर श्रेणी वेतनमान	01	01	–
2.	अतिरिक्त संचालक	37400–67000 +Gr.Pay 8700	01	01	–
3.	संयुक्त संचालक	15600–39100 +Gr.Pay 7600	01	01	–
4.	प्रोग्रामर सह सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर	15600–39100 +Gr.Pay 5400	01	–	01
5.	सहायक साँख्यिकी अधिकारी	9300–34800 +Gr.Pay 4300	01	01	–
6.	स्टेनोग्राफर वर्ग–2	9300–34800 +Gr.Pay 4300	01	01	–
7.	स्टेनोग्राफर वर्ग–3	5200–20200 +Gr.Pay 2800	01	01	–
8.	लेखापाल	5200–20200 +Gr.Pay 2400	01	01	–
9.	सहायक वर्ग–2	5200–20200 +Gr.Pay 2400	01	–	01

10.	डाटाएन्ट्री ऑपरेटर	5200–20200 +Gr.Pay 2400	03	03	–
11.	सहायक ग्रेड–3	5200–20200 +Gr.Pay 1900	02	02	–
12.	वाहन चालक	5200–20200 +Gr.Pay 1900	02	02	–
13.	भृत्य	4750–7440 +Gr.Pay 1300	02	02	–
14.	चौकीदार	कलेक्टर दर पर	01	01	–
	योग		**19**	**17**	**02**

भारतीय रिजर्व बैंक से प्रतिनियुक्त अधिकारी, अपर संचालक के पद पर पदस्थ हैं। स्टेनोग्राफर वर्ग–3, लेखापाल तथा भृत्य के पद संविदा नियुक्ति से भरे गये हैं।

भाग–2

बजट प्रावधान एवं व्यय

अ.

2052–सचिवालय सामान्य सेवायें
(091)–संबंद्ध कार्यालय
4296–संचालनालय संस्थागत वित्त

- **विभागीय उपलब्ध बजट**

(आंकडे लाख रू. में) (31 दिसम्बर 2016 की स्थिति में)

क्रमांक	बजट शीर्ष	प्राप्त आबंटन	व्यय	शेष
01	वेतन भत्ते आदि #01	104.76	52.43	52.33
02	मजदूरी #02	2.00	0.97	1.03
03	यात्रा भत्ता #03	10.00	3.06	6.94
04	कार्यालय व्यय #04	13.26	4.82	8.44
05	प्रशिक्षण #05	1.00	0.05	0.95
06	व्यवसायिक सेवाओं #10 हेतु अदायगियां	8.00	3.83	4.17
07	अनुरक्षण पर व्यय #24	1.25	0.77	0.48
	योग–	140.27	65.93	74.34

ब.

2052–सचिवालय सामान्य सेवायें
(091)–संबंद्ध कार्यालय
4296–संचालनालय संस्थागत वित्त
2435–अन्य कृषि कार्यक्रम

(आंकडे लाख रू. में) (31 दिसम्बर 2016 की स्थिति में)

क्रमांक	बजट शीर्ष	प्राप्त आबंटन	व्यय	शेष
01	कृषक ऋण ब्याज दर युक्तियुक्तकरण हेतु ब्याज–0101–5628	33,00.00	-	33,00.00

स.

06–2435–अन्य कृषि कार्यक्रम
60–अन्य
101–किसानों के लिए ऋण राहत योजना
0101–राज्य आयोजना (सामान्य)
8671–लघु एवं सीमांत कृषक ऋण माफी योजना
13–आर्थिक सहायता
001–प्रत्यक्ष सहायता
(आंकडे लाख रू. में) (31 दिसम्बर 2016 की स्थिति में)

क्रमांक	बजट शीर्ष	प्राप्त आबंटन	व्यय	शेष
01	लघु एवं सीमांत कृषक ऋण माफी योजना	0.1	0.1	0.1

- **यूरोपियन कमीशन – राज्य साझेदारी कार्यक्रम अंतर्गत उपलब्ध बजट**

2052–सचिवालय सामान्य सेवायें
(091)–संबंद्ध कार्यालय
4296–संचालनालय संस्थागत वित्त
6725–यूरोपियन कमीशन
(आंकडे लाख रू. में) (31 दिसम्बर 2016 की स्थिति में)

क्र.	बजट शीर्ष	प्राप्त आबंटन	व्यय	शेष
01	वेतन भत्ते आदि #01	17.25	3.35	13.90
02	यात्रा भत्ता #03	20.00	0	20.00
03	कार्यालय व्यय #04-009 सूचना प्रौद्योगिकी	20.00	3.03	16.97
04	प्रशिक्षण #05-001 अधिकारियों/कर्मचारियों का प्रशिक्षण	20.00	3.73	16.27
05	अनुरक्षण कार्य #24	1.00	0	1.00
06	व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां #10-003 परामर्श सेवाएं	7.00	1.06	5.94
	योग	85.25	11.17	74.08

भाग–3

संचालनालय के कार्यकलाप एवं गतिविधियाँ :–

1. संचालनालय के सफल आयास से बैंकों के कार्यक्षमता में वृद्धि हुई है। जून, 2016 की स्थिति में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 1239, अर्द्धशहरी क्षेत्रों में 698 एवं शहरी क्षेत्रों में 686 कुल 2,623 बैंक शाखा कार्यरत रही है। बैंको को साख जमा अनुपात का प्रतिशत भारतीय रिजर्व बैक द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय बैंचमार्क 60% के विरूद्ध जून, 2016 में 70.01% हुआ है। राज्य में प्राथमिक क्षेत्रों में साख की दर भारतीय रिजर्व बैक द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय बैंचमार्क 40% के विरूद्ध जून, 2016 में 48.28% हो गया है। कृषि ऋण (अग्रिम) कुल साख का प्रतिशत भारतीय रिजर्व बैक द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय बैंचमार्क 18% के विरूद्ध जून, 2016 में 16.69% हुआ है। कृषि क्षेत्र में कुल अग्रिम जून, 2015 में रु. 10,922.29 करोड़ के विरुद्ध जून 2016 में रू.12712.23 करोड़ हुआ है। यह वृद्वि 15.34% हैं। सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्षेत्र में कुल अग्रिम जून, 2015 में रु14,783.90 करोड़ के विरूद्ध जून, 2016 में रु. 17453.44 करोड़ हुआ है, जो कि 17.60% अधिक है। कमजोर क्षेत्र को अग्रिम का कुल साख का प्रतिशत भारतीय रिजर्व बैक द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय बैंचमाक्र 10% के विरूद्ध जून, 2016 में 13.64% हुआ है।

2. अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत् प्रदेश के 27 जिले विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों को आबंटित किए गए हैं। अग्रणी बैंक का प्रमुख उत्तरदायित्व जिले की साख योजनाओं को तैयार कर कार्यान्वित करना एवं बैंक तथा जिला प्रशासन के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित करना है। जिला स्तर पर साख संबंधी योजना तैयार करने का कार्य को सुगम बनाने के लिये राज्य स्तर पर विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन करने वाली शासकीय विभागों के साथ समन्वय कर आगामी वर्ष की साख योजना के लिये दस्तावेज तैयार करने का प्रयास किया जाता है। शासन प्रायोजित योजनाओं के अंर्तगत लक्ष्य प्राप्ति हेतु बैंकों के साथ अनुश्रवण कर वित्त पोषण सुनिश्चित किया जाता है। संचालनालय द्वारा स्टेट क्रेडिट प्लान 2016–17 तैयार किया गया है, जिसमें योजनावार एवं जिलावार भौतिक, वित्तीय लक्ष्य एवं अनुदान की राशि का समावेश किया गया है।

भाग–4

बैंक वसूली प्रोत्साहन योजना प्रकोष्ठ (ब्रिस्क) का क्रियान्वयन :–

शासन आायोजित योजनाओं के अंर्तगत् व्यावसायिक बैंको एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको द्वारा आदत्ता ऋणों के अतिदेय राशियों की वसूली हेतु सहायता करने में राज्य शासन भरसक प्रयत्नशील है। इस दिशा में राज्य शासन वसूली हेतु अपने प्रशासनिक तंत्र (राजस्व अमला) की सुविधा उपलब्ध कराती है। ब्रिस्क योजना के अंर्तगत् पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश राज्य से छत्तीसगढ़ राज्य को रु.12,83,629.00

बंटवारे में प्राप्त हुए। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद से दिसम्बर, 2015 की स्थिति में ब्रिस्क खाते में रु. 14,79,294.92 जमा है।

भाग–5

संचालनालय, संस्थागत वित्त, छत्तीसगढ़, नया रायपुर में पदस्थ अमले की जानकारी :–

क्र.	नाम	पदनाम	रिमार्क
1.	डॉ. कमल प्रीत सिंह	संचालक	(भा.प्र.सेवा)
2.	श्री राकेश शुक्ला	अतिरिक्त संचालक	प्रतिनियुक्ति
3.	श्री एन.के.साकी	संयुक्त संचालक	संविदा
4.	श्री सूर्यकांत साहू	सहायक सांख्यकी अधिकारी	प्रतिनियुक्ति
5.	श्री आर.सी. खरे	स्टेनोग्राफर वर्ग–2	
6.	श्री जगदीश प्रसाद देवांगन	लेखापाल	संविदा
7.	श्रीमती पायल यादव	स्टेनोग्राफर वर्ग–3	संविदा
8.	श्री संजय कुमार श्रेय	डाटाएन्ट्री ऑपरेटर	
9.	श्री मुकेश कुमार	डाटाएन्ट्री ऑपरेटर	
10.	श्री घनश्याम आसाद सिन्हा	डाटाएन्ट्री ऑपरेटर	
11.	श्री सत्यवीर सिंह राठौर	सहायक ग्रेड–3	
12.	श्री विरेन्द्र सिंह	सहायक ग्रेड–3	प्रतिनियुक्ति
13.	श्री लोकेश कुमार सोनी	सहायक ग्रेड–3	
14.	श्री रामफल निषाद	वाहन चालक	
15.	श्री विजय कुमार मिश्रा	वाहन चालक	प्रतिनियुक्ति
16.	भूषण लाल धर्मा	भृत्य	संविदा
17.	श्री प्रेम लाल वर्मा	भृत्य	कलेक्टर दर
18.	श्री लखन	चौकीदार	कलेक्टर दर

यूरोपरियन कमिशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट

1.	श्रीमती नेहा तलवार	प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पर्सनल	यूरोपरियन कमिशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम के अंतर्गत पदस्थ
2.	श्री मोहम्मद वाजिद	सहायक प्रोग्रामर (निक्सी द्वारा पदस्थ)	

भाग-6

अल्प बचत एवं राज्य लॉटरीज प्रकोष्ठ :-

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर के आदेश क्रमांक एफ-1-33/2015/ स्था./चार, दिनांक 23.12.2016 द्वारा अल्प बचत एवं राज्य लॉटरीज, संचालनालय, छत्तीसगढ़ का विलय संस्थागत वित्त, संचालनालय, छत्तीसगढ़ में किया गया है। अल्प बचत एवं राज्य लॉटरीज, संस्थागत वित्त में एक प्रकोष्ठ के रूप में संचालित है । अल्प बचत योजनाओं का प्रमुख कार्य राज्य में बढ़ावा देना है ।

<u>अल्प बचत योजनाएं</u>

1. किसान विकास पत्र 8 वर्ष 04 माह में राशि दुगुनी ।
2. राष्ट्रीय बचत पत्र आठंवा निर्मम
3. मासिक आय योजना
4. सावधि जया योजना
5. डाकघर बचत खाता
6. पंच वर्षीय आवर्ती जया योजना
7. वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना 9.3 प्रतिशत मासिक ब्याज दर
8. लोक भविष्य निधि खाता मे डेढ़ लाख की वृद्धि कर दी गई है, 8.7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर है ।

उपरोक्त योजनाओं का क्रियान्वयन एस.ए.एस. एजेंट ए.पी.के.वी.वाय एजेंटो की नियुक्ति एवं पी.पी.एफ. एजेंटो की नियुक्ति संबंधी कार्य संचालनालय की देख रेख में जिला कलेक्टर द्वारा किया जाता है । माह दिसम्बर, 2016 तक लगभग 240 करोड़ संग्रहण प्राप्त हुआ है।

<u>बजट प्रावधान वित्तीय वर्ष 2016-17 का</u>

उपरोक्त विषयान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में रू.1,46,50,000.00 का बजट प्राप्त हुआ था । जिसमें माह दिसम्बर तक 62,25,580.00 का अनुमानित व्यय हुआ है ।

अल्प बचत एवं राज्य लॉटरीज प्रकोष्ठ का सेटअप निम्नानुसार स्वीकृत है :-

स.क्र.	पद नाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
1	संचालक	01	01	-
2	संयुक्त संचालक	01	01	-
3	कनिष्ठ लेखाधिकारी	01	-	01

4	प्रचार सहायक	01	–	01
5	सहायक संचालक	01	–	01
6	शीघ्रलेखक वर्ग–03	01	–	01
7	सहायक ग्रेड–01	02	01	01
8	सहायक ग्रेड–02	02	01	01
9	सहायक ग्रेड–03	04	–	04
10	डाटा एण्ट्री आपरेटर	01	–	01
11	वाहन चालक	01	–	01
12	भृत्य	03	01	02
13	चौकीदार	01	–	01
योग		**20**	**05**	**15**

अल्प बचत एवं राज्य लॉटरीज प्रकोष्ठ का क्षेत्रीय कार्यालय 16 जिलों में स्थापित है। जिसमें स्वीकृत पदों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है :–

स.क्र.	पद नाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
1	वरिष्ठ जिला अल्प बचत अधिकारी	04	–	04
2	जिला अल्प बचत अधिकारी	05	04	01
3	क्षेत्रीय सहायक	16	02	14
4	सहायक ग्रेड–02	04	–	04
5	डाटा एण्ट्री आपरेटर	04	–	04
6	सहायक ग्रेड–03	14	01	13
7	वाहन चालक	04	01	03
8	भृत्य	16	–	16
	योग	**67**	**08**	**59**

---000---

संचालनालय, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, छत्तीसगढ़, नया रायपुर

संचालनालय, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली छत्तीसगढ़ कार्यालय का गठन छत्तीसगढ़ राज्य में दिनांक 13 अगस्त, 2001 को किया गया था। वित्त विभाग के अंतर्गत गठित इस कार्यालय द्वारा राज्य शासन के वित्तीय प्रबंध एवं वित्तीय नियंत्रण से संबंधित सभी कार्य संपादित किये जाते हैं।

वर्ष 2016-17 में कार्यालय की गतिविधियां:-

वर्ष 2016-17 का बजट अनुमान तथा प्रथम एवं द्वितीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2016-17 संकलित कर निर्धारित प्रारुप में तैयार कर विधानसभा में प्रस्तुत किया गया तथा वर्ष 2016-17 का तृतीय अनुपूरक अनुमान तथा वर्ष 2017-18 का मुख्य बजट अनुमान का संकलन कार्य प्रगति पर है।

संगठनात्मक ढांचा:-

संचालनालय हेतु निम्नलिखित पद संरचना की स्वीकृति प्रदान की गई है :-

क्र.	पद	श्रेणी/संवर्ग	पद संख्या	वेतन बैंड	ग्रेड वेतन
1.	संचालक	भारतीय प्रशासनिक सेवा	पदेन	-	
2.	संयुक्त संचालक (राज्य वित्त सेवा)	प्रथम श्रेणी	01	15600-39100	7600
3.	उप संचालक, वित्त	प्रथम श्रेणी	01	15600-39100	6600
4.	सांख्यिकी अधिकारी	द्वितीय श्रेणी	01	15600-39100	5400
5.	प्रोग्रामर	द्वितीय श्रेणी	01	15600-39100	5400
6.	सहायक लेखा अधिकारी	तृतीय श्रेणी	02	9300-34800	4300
7.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	तृतीय श्रेणी	01	9300-34800	4300
8.	सहायक प्रोग्रामर	तृतीय श्रेणी	01	9300-34800	4200
9.	डाटा एन्ट्री आपरेटर	तृतीय श्रेणी	04	5200-20200	2400
10.	स्टेनोग्राफर अंग्रेजी	तृतीय श्रेणी	01	5200-20200	2800
11.	स्टेनोग्राफर हिन्दी	तृतीय श्रेणी	01	5200-20200	2800
12.	सहायक ग्रेड-02	तृतीय श्रेणी	01	5200-20200	2400
13.	सहायक ग्रेड-03	तृतीय श्रेणी	03	5200-20200	1900
14.	वाहन चालक	तृतीय श्रेणी	02	5200-20200	1900
15.	भृत्य	चतुर्थ श्रेणी	03	4750-7400	1300

बजट आबंटन तथा व्यय (वित्तीय वर्ष 2016–17)

31 दिसम्बर, 2016 की स्थिति में

(राशि रुपयों में)

क्रमांक	मुख्य शीर्ष	योजना क्रमांक	योजना का नाम	बजट आबंटन	वास्तविक व्यय
1	2052	4295	संचालनालय, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली	82,22,000	47,31,608
	योग				**47,31,608**

❖ **सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत वर्ष 2016 में प्राप्त प्रकरणों के क्रियान्वयन की जानकारी**

प्राप्त आवेदन पत्र	निराकृत	अस्वीकृत
निरंक	**निरंक**	**निरंक**

---000---

छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड, छत्तीसगढ़ रायपुर

सामान्य जानकारी

(1) गठन का उद्देश्य

सी.आई.डी.सी. का गठन, कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में 26 फरवरी, 2001 को किया गया था। इसे अपना व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण-पत्र 28 मार्च, 2001 को प्राप्त हुआ। शासन द्वारा इसकी अधिकृत अंशपूंजी ₹10.00 करोड़ रखी गयी है। मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल्स आफ एसोसियेशन के अनुसार इस कार्पोरेशन के गठन का मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार है :-

यह निगम राज्य में सभी प्रकार की अधोसंरचना विकास एवं उसके लिये निजी पूंजी निवेश के समन्वय हेतु छत्तीसगढ़ शासन के प्रमुख सलाहकार व नोडल एजेन्सी के रुप में तथा राज्य में सभी प्रकार की अधोसंरचना विकास परियोजनाओं हेतु नीति के निर्धारण, संवर्धन, विकास, क्रियान्वयन, निर्माण, संचालन, रखरखाव, प्रबंधन एवं वित्तीय व्यवस्था के लिये प्रवर्तक, सलाहकार, प्रायोजक व प्रबंधन सेवा प्रदाता के रुप में कार्य करेगा।

(2) संगठनात्मक ढाँचा

सी.आई.डी.सी. में निम्नानुसार अमला कार्यरत् है:-

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत् पद
1.	प्रबंध संचालक	1	1
2.	मुख्य महाप्रबंधक	2	1
3.	प्रबंधक	2	-
4.	प्रबंधक (लेखा)	1	1
5.	स्टेनोग्राफर	6	2
6.	रिसेप्सनिस्ट	2	-

(3) क्रियाकलाप

सी.आई.डी.सी. द्वारा वर्ष 2003 से मुख्यत: विघटित मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के परिसमापन एवं पुनर्वास का ही कार्य किया जा रहा है। पुनर्वास प्रक्रिया के अंतर्गत दिनांक 31.12. 2016 की स्थिति में 1057 कर्मचारी विभिन्न विभागों/निगमों/मंडलों आदि में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ हैं, जबकि 17 कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाना है। विघटित परिवहन निगम के 34 कर्मचारी परिसमापन संबंधी कार्य कर रहे हैं।

सीआईडीसी द्वारा आईआईएम अहमदाबाद के साथ पीपीपी परियोजनाओं हेतु मानव संसाधन प्रदाय करने हेतु एमओयू हस्ताक्षरित किया गया है । इसके अलावा गृह विभाग, छत्तीसगढ़ शासन हेतु दो पीपीपी परियोजनाओं (1) सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, बस्तर (2) पुलिस पब्लिक स्कूल, रायपुर हेतु ट्रांजेक्शन एडवाईज़र के रूप में कार्य किया जा रहा है ।

(4) बजट प्रावधान एवं व्यय

(अ) सी.आई.डी.सी. को वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रावधानित राशि ₹ 50.00 लाख के विरूद्ध ₹ 50.00 लाख का व्यय हो चुका है।

(ब) सी.आई.डी.सी. के नियंत्रणाधीन विघटित परिवहन निगम हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रावधानित राशि ₹500.00 लाख के विरूद्ध ₹ 500.00 लाख का व्यय हो चुका है।

---000---

तृतीय छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर के अधिसूचना क्रमांक 02/एल 8-9 (पार्ट)/2016/वित्त/वि.आ.प्र., नया रायपुर, दिनांक 20.01.2016 द्वारा तृतीय राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है।

छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर के ज्ञाप क्रमांक 28/12/2016/वि.आ.प्र./चार, नया रायपुर, दिनांक 29.03.2016 द्वारा निम्नानुसार 27 अस्थाई पदों के लिए स्वीकृति प्रदान किया गया है :-

क्रमांक	पद का नाम	पदों की संख्या
1	सचिव	1
2	संयुक्त सचिव	1
3	अनुसंधान अधिकारी	1
4	स्टेनोग्राफर ग्रेड-1 अध्यक्ष के निज सचिव	1
5	कार्यालय अधीक्षक	1
7	सहायक प्रोग्रामर	1
6	सहायक ग्रेड-1	1
8	संगणक	1
9	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	2
10	स्टेनोग्राफर वर्ग-3	2
11	लेखापाल	1
12	सहायक ग्रेड-2	2
13	सहायक ग्रेड-03	2
14	वाहन चालक	2
15	भृत्य	5
16	चौकीदार	1
17	फर्राश	1
18	स्वीपर	1

राज्य वित्त आयोग का उद्देश्य

राज्य में स्थानीय निकायों के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं में 10,971 ग्राम पंचायत 146 जनपद पंचायत, 27 जिला पंचायत तथा 168 नगरीय स्थानीय निकायों में 13 नगर निगम, 44 नगर पालिका तथा 111 नगर पंचायतें है।

उपरोक्त स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने तथा राज्य द्वारा उद्ग्रहणीय करों, शुल्कों, पथकरों तथा फीसों के शुद्ध आगमों तथा सभी स्तरों के निकायों के बीच आबंटन को निर्धारित करने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करने के लिए निर्देश है। राज्य की संचित निधि से इन संस्थाओं को सहायता अनुदान देने के संबंध में अनुशंसा करना भी आयोग का कार्य है, आयोग का एक और महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के उपायों के बारे में सुझाव देना है।

आयोग को वित्तीय वर्ष 2016-17 में राशि रू.145.00 लाख आबंटित किया गया है, जिसमें से माह दिसम्बर, 2016 तक कुल राशि रूपये 73.74 लाख व्यय किया जा चुका है।

---000---